न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 32 / 2022

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2022 / 421

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. छगनलाल पुत्र गणेश सोनी सुनार निवासी कोट तहसील रायपुर		1. नैनुराम पुत्र मोहन जाट निवासी कोट तहसील रायपुर 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. हरिशचन्द्र टेलर, प्रार्थी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद मन्सूरी, विपक्षी अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 18/5/26

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 752 रकबा 0.17 है0, 753 रकबा 0.01 है0, 757 रकबा 0.17 है0, 758 रकबा 0.41 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 107 पर दर्ज रिकार्ड होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है।

02. प्रार्थी की उक्त आराजियात में सन्ज बेलगाड़ी ट्रैक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन करने का एकमात्र रास्ता ग्राम कोट की बिलानाम रास्ते की आराजी संख्या 836 से होते हुए विपक्षी संख्या 1 की आराजी सख्या 749 की दक्षिणी पाली पर होकर फिर पश्चिमी पाली पर होकर आगे फिर विपक्षी सख्या 1 की ही आराजी संख्या 748 की दक्षिणी पाली पर होकर फिर आगे पश्चिमी पाली पर होकर 15 फिट चौडाई में होकर प्रार्थी की आराजी में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी के उक्त खेतों में आवागमन का एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी की आराजियात में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है क्योंकि मौके पर मंगरियां होने से उक्त रास्ता ही प्रार्थी के खेतों में आवागमन के लिए मौजूद है इसलिए उक्त रास्ता ही प्रार्थी की भूमियों में आवागमन करने का आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ता प्रार्थी के सुविधाजनक उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है बल्कि एकमात्र यही एक रास्ता है जिससे अपने खेतों में आवागमन कर सकता है किन्तु विपक्षी सख्या 1 ने उसकी आराजी संख्या 749 के दक्षिणी–पूर्वी पाली पर रास्ते को बड़े–बड़े पत्थर डालकर उक्त रास्ते को मौके पर बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी अपने खेतों में आवागमन नहीं कर पा रहा है।

03. अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कोट पटवार हल्का कोट में स्थित प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 752, 753, 757, 758 में आवागमन करने का एकमात्र रास्ता जो बिलानाम सरकारी रास्ते की आराजी संख्या 836 से

सहायक कलक्टर

होते हुए विपक्षी संख्या 1 की आराजी सख्या 749 की दक्षिणी पाली पर होकर फिर पश्चिमी पाली पर होकर आगे फिर विपक्षी सख्या 1 की ही आराजी संख्या 748 की दक्षिणी पाली पर होकर फिर आगे पश्चिमी पाली पर होकर 15 फिट चौडाई में स्थित है, को किस्म बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे और इसकी नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करने व विपक्षी को दिलाने का आदेश भी साथ ही फरमाया जावे। मौके पर रास्ते को भी खुलासा कराया जावे।

04. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता फारुख मोहम्मद मन्सूरी उपस्थित जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

05. विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकन किया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 752, 753, 757, 758 में आवागमन सरकारी बिलानाम आराजी संख्या 836 जो मौके पर खुली पड़ी होकर रास्तानुमा उपयोग में आ रही है, लेकिन आराजी संख्या 836 से सटमा विपक्षी की आराजी 749, 748 की दक्षिणी व पश्चिमी पाली पर व आराजी संख्या 748 की दक्षिणी पाली पर होकर प्रार्थी का आवागमन नही है विपक्षी की उक्त आराजियात में प्रार्थी का रास्ता कभी नही रहा। प्रार्थी वर्षो से उक्त आराजियात से होकर आवागमन नही करता रहा है। प्रार्थी की आराजियात में आवागमन का मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। उक्त रास्ते की मौका रिपोर्ट में हल्का गिरदावर एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा नही दर्शाया है। वैकल्पिक मार्ग विपक्षी द्वारा मौके पर बताया जाता अगर मौका रिपोर्ट के दौरान एवं निरीक्षण के दौरान विपक्षी को सूचित किया जाता है। मौका निरीक्षण के समय विपक्षी अनुपस्थित था। उसको कोई सूचना नही दी गई। उक्त रास्ते की प्रार्थी को कोई आवश्यकता नही है। केवल सुविधायूक्त रूप में विपक्षी की भूमियों मे चाह रहा है। मौके पर विपक्षी की आराजियात पर कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

06. तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/251ए/2023/1205 दिनांक 12.07.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय द्वारा आपत्ति स्वीकार की जाकर पुनः मौका रिपोर्ट के लिए तहसीलदार रायपुर को लिखा गया।

07. तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/2026/365 दिनांक 02.04.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसारः–

i. ग्राम कोट के आराजी संख्या 752, 753, 757, 758 कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 है0 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया जो प्रार्थी छगनलाल पिता गणेश सोनी के नाम दर्ज रेकार्ड है।

ii. प्रार्थी आराजी संख्या 748 रकबा 0.08 है0 किस्म चाही।। व आराजी सख्या 749 रकबा 0.23 है0 किस्म चाही। से होकर रास्ता चाहता है जो ग्राम कोट में स्थित होकर नेनुराम पिता मोहन जाट के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

iii. प्रार्थी द्वारा पूर्व में चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 748 व 749 के दक्षिणी व पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे होकर गुजरता है जो सुगम व निकटतम नही है।

iv. प्रार्थी आराजी संख्या 748 व 749 से होकर अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन करता था परन्तु लगभग 3, 4 वर्ष से रास्ता बन्द कर रखा है जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन नही कर पा रहा है।

v. प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 748 व 749 मे से 15 फीट चौड़ाई में रास्ता चाहा गया जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जो निकटतम व सुगम है।

vi. प्रार्थी के ग्राम कोट के खातेदारी आराजी संख्या 752, 753, 757, 758 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मोजुद नही है।

vii. प्रार्थी जिस आराजी से रास्ता चाहता जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क. स.	नाम ग्राम	आराजी संख्या	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि		भौगोलिक स्थिति	भूमि की डीएलसी दर	भूमि की कीमत	भूमि की दुगुनी कीमत
				ल.X चौ.	क्षेत्रफल वर्गमीटर में				
1	कोट	749	0.23	60X4	240	समतल	616000	14784	29568
2	कोट	748	0.08	30X5	150	समतल	616000	9240	18480
			योग		390			24024	48048

viii. मौतबिरान के समक्ष मौका पर्चा बनाया गया जो सलंग्न हैं

08. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम कोट में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 752, 753, 757, 758 के लिए रास्ता चाहा गया है। आराजी संख्या 735, 836 बिलानाम आराजी है तथा आराजी संख्या 748, 749 विपक्षी संख्या 1 की आराजी है। चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी की अराजियात तक पहुॅच का एकमात्र रास्ता है और मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। विपक्षी के जवाब में आराजी संख्या 748, 749 से आवागमन करने से इन्कार किया गया है एवं आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होना लिखा है परन्तु उस वैकल्पिक रास्ते का स्पष्ट वर्णन नही किया गया है। वास्तविकता में वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट में भी चाहे गए रास्ते को प्रार्थी की आराजियात तक पहुॅच का एकमात्र रास्ता बताया गया है। विपक्षी की उपस्थिति में दूसरी मौका रिपोर्ट बनाई गई। रास्ते को 5 वर्ष पूर्व बन्द कर दिया जिससे रास्ते के कोई अलामात नही है जहां रास्ता बन्द किया वहां अब भूमि काश्त की जा रही है। 5 वर्ष से प्रार्थी की भूमि में आवागमन नही होने से भूमि पड़त पड़ी हुई है। धारा 251ए की मंशा प्रकरण में पूर्ण होती है। डीएलसीदर की दुगुनी दर से भुगतान अथवा भूमि के बदले भूमि प्रार्थी दोनो विकल्प हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाए।

09. विपक्षी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। विप्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस में अंकन किया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 752. 753. 757, 758. कुल किता 04, कुल रकबा 0.76 हैक्ट भूमि में रास्ता चाहा उक्त रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 749 व 748 की दक्षिणी पालीयों पर दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रार्थना की। प्रकरण में मौका रिपोर्ट नियमानुसार डी.एल. सी. दर से तलब की गई एवं चाहे गये रास्ते के सम्बंध में रिपोर्ट तलब की नियमानुसार रिपोर्ट पत्रावली में सलग्न हुई। प्रार्थी ने न्यायालय आप में जो प्रार्थना पत्र पेश किया वह धारा 251ए की मशा के विपरीत है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण की आराजीयात में होकर आवागमन करना अंकित किया जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने कही अंकित नहीं किया कि विपक्षी की भूमियों में होकर प्रार्थी कब से आवागमन कर रहा है न ही प्रार्थी ने यह अंकित किया कि उक्त भूमियों में आवागमन किन वर्षों से अनवरत किया जा रहा है। केवल मात्र 251ए आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र नियमानुसार मुआवजा अदा कर राजस्व रास्ता दर्ज कराने का पेश कर दिया जो कतई स्वीकार योग्य नहीं हैं। प्रार्थी ने उक्त रास्ता अपनी सुविधा के उपयोग अनुसार चाहा है एव विपक्षी की आराजीयात के पास स्थित बिलानाम आराजी संख्या 836 रकबा 0.18 हैक्ट किस्म गेमु रास्ता दर्ज होने का लाभ प्राप्त करने की नियत से विपक्षी की आराजीयात में से होकर जाने का रास्ता मांग लिया है जबकि प्रार्थी की आराजी संख्या 752, 753, 757, 758 के पास ही इनके भाई परिवार की आराजी संख्या 762, 827, 826, 761 स्थित है जो पूर्व में साबिक रेकॉर्ड में शामिल थी तथा कालान्तर में सभी खातेदार इन्ही आराजीयात में होकर आवागमन करते रहे तथा प्रार्थी के पूर्वज गणेश सोनी चार भाई थे तथा आराजी संख्या 762 के वर्तमान खातेदार के पूर्वज चौथमल जी सोनी थे जो भाई बंध रिस्ते में लगते थे। उक्त आराजीयात का विभाजन होने पर राजस्व रकॉर्ड में रास्ते नहीं दर्ज करवाये बल्कि मौके पर ही आवागमन शुचारू रूप से किया जाता रहा। प्रार्थी को उक्त रास्ते की कोई आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी के भाई परिवारों में दर्ज भूमि आराजी संख्या 759 व बिलानाम आराजी संख्या 836 गेमु रास्ता से लगती हुई है। प्रार्थीगण के भाई परिवारों की भूमि में आराजी संख्या 826 रकबा 0.02 गेमु.आचा तक राजस्व रेकॉर्ड में रास्तानुमा भूमि है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी आराजीयात में आवागमन करता रहा है। विपक्षी के पास दोनो आराजी संख्या 748, 749 का काफी कम रकबा है एवं उक्त रकबे में से भी प्रार्थी ने रास्ते के रूप में भूमि चाही हैं जो कानुन के विपरित है। विपक्षी काश्तकार व्यक्ति है तथा दोनो आराजीयात में प्रार्थी का कोई रास्ता नहीं है न ही रास्ते के अलामात है। मौका रिपोर्ट में वर्णित तथ्य में बताया गया कि तीन वर्ष से आवागमन बन्द कर दिया है तथा मौका रिपोर्ट में पुंछताछ के आधार पर सारे तथ्य अंकित किये है। वर्तमान में विपक्षी की आराजी संख्या 748 व 749 में फसल काश्त होना भी अंकित हैं। आराजी संख्या 748 में जहा प्रार्थी ने रास्ता चाहा है उसके सम्बंध में मौका रिपोर्ट में भी अंकन किया है कि आराजी संख्या 748 की पश्चिमी मेड पर दो नीम के बड़े पेड है जो रास्ते की भूमि में आयेंगे इस प्रकार यह स्पष्ठ है कि प्राथी ने मनमकसूद तथ्य दर्शाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है। दोनो पेड़ो की स्थिति काफी चौडाई व पूरानी है। प्रार्थी ने उक्त रास्ता सुविधा हेतु पेश किया जबकि प्रार्थी न्यायालय में आराजी संख्या 759 जो सरकारी रास्ते से लगती हुई है एवं प्रार्थी के भाई बधुओ की भूमियों से सटमा है से भी प्राप्त कर सकता था लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाए।

10. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस पर विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर पुनः प्रत्युत्तर मे निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र के जवाब से हटकर तथ्य बहस में नही कहे जा सकते है। जवाब में केवल इतना ही अंकन है कि वैकल्पिक मार्ग है। आराजी संख्या 762 में रास्ता लिखित बहस में बताया, तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में इसका कोई हवाला नही है जबकि मौका रिपोर्ट विपक्षी की उपस्थिति में बनाई गई है। आराजी संख्या 762, 761 के बारे में जवाब में अंकन नही है। तहसीलदार रायपुर की दूसरी रिपोर्ट के समय विपक्षी मौके पर उपस्थित थे परन्तु उन्होने कोई वैकल्पिक रास्ता नही बताया। दूसरी मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति विपक्षी द्वारा नही की गई। जिन आराजियात के

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

लिए रास्ता चाहा गया है उसके आसपास का क्षेत्र पहाड़ीनुमा क्षेत्र है केवल मात्र चाहा गया रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। मौका रिपोर्ट पर विपक्षी नेनुराम के हस्ताक्षर है परन्तु उन्होने कोई वैकल्पिक रास्ता नही बताया है। आराजी संख्या 762 के खातेदार प्रार्थी के परिवार के ही है इसे सावित करने के कोई दस्तावेज नहीं पेश नही किए गए। लिखित बहस के तथ्य जवाव से हटकर है एवं सावित भी नही किए गए है। 5 वर्ष से प्रार्थी के खेतो का आवागमन बंद है अगर कोई वैकल्पिक रास्ता होता तो आवागमन बंद नही होता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

11. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

12. न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थी की ग्राम कोट के आराजी संख्या 752, 753, 757, 758 कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 है0 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 748 व 749 से चाहा गया है। तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट के

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर

अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हे। प्रार्थी की कृषि भूमि में वर्तमान में कोई आवागमन नही किया जा रहा है तथा भूमि पड़त पड़ी हुई है। विपक्षी द्वारा मौके पर कोई वेकल्पिक मार्ग नही बताया गया है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का होकर तहसीलदार रायपुर को मौका रिपोर्ट मे आराजी संख्या 749 की उत्तरी पाली एवं आराजी संख्या 748 की उत्तरी पूर्वी पाली पर संलग्न नक्शे अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है, अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3 (52) राज–6 / 12 / 4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार विपक्षी की आराजी संख्या 749 में प्रस्तावित रास्ता 4 मीटर चौड़ाई 60 मीटर लम्बाई का कुल रकबा 240 वर्गमीटर एवं आराजी संख्या 748 में प्रस्तावित रास्ता 5 मीटर चौड़ाई 30 मीटर लम्बाई का कुल रकबा 150 वर्गमीटर है। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात में आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यता है। प्रार्थीगण को आवागमन के लिए 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी द्वारा आवागमन किया जा सकेगा। प्रार्थी की अपनी कृषि आराजियात में आवागमन हेतु कुल 390 वर्गमीटर भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु बनती है। प्रार्थी की आराजी संख्या 752 विपक्षी की आराजी संख्या 748 तथा प्रार्थी की आराजी संख्या 753 विपक्षी की आराजी संख्या 754 से लगती हुई है। अतः प्रार्थी की आराजी मे से रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि के रकबे के बराबर भूमि विपक्षी को भूमि के बदले भूमि देते हुए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र भूमि के बदले भूमि दी जाने पर स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सावित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट के आराजी संख्या 752, 753, 757, 758 में पहुंच हेतु आराजी संख्या 749 रकबा 0.23 है0 मे से 4 मीटर चौड़ा 60 मीटर लम्बाई में 240 वर्गमीटर भूमि एवं आराजी संख्या 748 रकबा 0.08 है0 भूमि में से 5 मीटर चौडा, 50 मीटर लम्बाई में 150 वर्गमीटर भूमि संलग्न

सहायक कलक्टर (एसडीओ) रायपुर

नक्शानुसार प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाली भूमि के बदले समान रकबे की भूमि विपक्षी की आराजी से लगती हुई प्रार्थी की भूमि आराजी संख्या 753, 752 मे से दी जाने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते को सार्वजनिक बिलानाम रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि के बदले भूमि का रकबा तरमीम करते हुए राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे। मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक बिलानाम रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करुणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18/5/22 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा